भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्याप 2382

दिनांक 03.12.2019/12 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तवर के लिए

पश्चिम बंगाल को बीएडीपी हेतु सहायता

†2382. श्री सौमित्र खानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस निधि से पश्चिम बंगाल के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तघर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): गत पांच वर्षो अर्थात वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत जारी की गई निधियों और राज्य सरकार से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र का ब्यौरा निम्नीलिखित तालिका में दिया गया है :

दिनांक 27.11.2019 की स्थिति के अनुसार (करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (केन्द्रीय अंश)	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र (केन्द्रीय अंश)
2014-15	97.39	97.39
2015-16	161.79	161.79
2016-17	108.32	107.33
2017-18	122.00	90.09
2018-19	85.40	46.13
कुल	**574.90**	**502.73**

(घ): पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बीएडीपी निधियों का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया है, अर्थात : (i) सड़क संपर्क, (ii) जल आपूर्ति, (iii) शिक्षा, (iv) खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ, (v) सामाजिक अवसंरचना, (vi) स्वास्थ्य, (vii) विद्युत, (viii) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र (ix) कौशल विकास, आदि।

*****